माननीय पूर्ण न्यायपीठ आई. एस. तिवाना, एस. एस. सोधी और ए. एस. नेहरा, जे. जे.

शेर सिंह घुमान (सेवानिवृत्त) और अन्य-याचिकाकर्ता।

बनाम

हरियाणा राज्य और एक और-उत्तरदाता।

1990 की सिविल रिट याचिका संख्या 345

9अक्टूबर, 1991

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 14-पंजाब कृषि उपज बाजार अधिनियम, 1961-हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड और बाजार समितियों के कर्मचारी पेंशन, भविष्य निधि और ग्रेच्युटी नियम, 1989-1989 के नियमों की अधिसूचना से पहले सेवानिवृत्त होने वाले व्यक्ति उक्त नियमों के लाभ के हकदार नहीं हैं-1989 के बनाए गए नियम संभावित-1989 से पहले सेवानिवृत्त होने वाले व्यक्ति और उसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले व्यक्ति एक अलग वर्ग बनाते हैं-एक ओर भविष्य निधि और ग्रेच्युटी और दूसरी ओर पेंशन अलग अवधारणाएं हैं-पहली सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त भुगतान है जबकि पेंशन एक निरंतर दायित्व है-1989 के नियमों की संभावना के परिणामस्वरूप अदृश्य भेदभाव नहीं होता है-नियमों को लागू करने की तारीख का निर्धारण मनमाना नहीं है।

माना जाता है कि पेंशन एक ऐसी अवधि है जो उन व्यक्तियों को आवधिक धन भुगतान के लिए लागू होती है जो एक निश्चित उम्र में सेवानिवृत्त होते हैं और आमतौर पर अपने शेष जीवन के लिए भुगतान किया जाता है, ग्रेच्युटी या भविष्य निधि का भुगतान सेवानिवृत्ति के समय एक बार किया जाना है। यह कहा जा सकता है कि पेंशन प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के पास निरंतर अधिकार है और राज्य को ऐसे सेवानिवृत्त लोगों के लिए प्रावधान करने का संबंधित दायित्व है, लेकिन उनकी तुलना ऐसे व्यक्तियों से नहीं की जा सकती जो ग्रेच्युटी या भविष्य निधि के भुगतान के हकदार हैं, इसका भुगतान केवल एक बार यानी सेवानिवृत्ति के समय किया जाएगा। इसलिए, तत्काल मामले में, विवादित नियम लागू होने की तारीख यानी 24 जुलाई, 1989 को ऐसे सेवानिवृत्त लोगों के लिए कुछ भी प्रदान करने याचिकाकर्ता के पास कोई निरंतर अधिकार या प्रतिवादी-बोर्ड की ओर से निरंतर दायित्व नहीं था।

(पैरा 5)

यह अभिनिर्धारित किया गया कि किसी विशेष अधिनियम या नियम के प्रवर्तन की तारीख को चीजों की प्रकृति में मदद नहीं की जा सकती है और इसमें कुछ भी अप्रीतिकर नहीं है जब तक

कि कोई यह नहीं कह सकता कि अधिनियम को कभी भी संभावित नहीं बनाया जा सकता है।न्यायालय को संभवतः इस तथ्य से विचलित नहीं किया जा सकता है कि बोर्ड का कोई कर्मचारी जो विचाराधीन नियमों के प्रवर्तन से एक दिन पहले ही सेवानिवृत्त हो गया हो, उसे इसका लाभ नहीं मिल सकता है क्योंकि प्रवर्तन की तारीख को किसी भी प्रासंगिक प्रावधान को निरस्त करके समाप्त नहीं किया जा सकता है।सभी मामलों में कानून का संभावित संचालन होना चाहिए।भले ही तर्क के लिए प्रवर्तन की उक्त तिथि को अभिलोपित किया जाए, नियमों का स्वचालित रूप से पूर्वव्यापी संचालन नहीं हो सकता है।

(पैरा 7)

(माननीय श्री न्यायमूर्ति ए.पी. चौधरी और माननीय श्री न्यायमूर्ति आई.एस. तिवाना की खंडपीठ द्वारा दिनांक 11 अप्रैल, 1990 को मामला कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न के निपटारे के लिए एक बड़ी पीठ को संदर्भित किया गया कि क्या पहले से ही सेवानिवृत्त व्यक्तियों को पेंशन के लाभों से बाहर करने के संबंध में नियमों का संभावित संचालन संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है क्योंकि यह भेदभावपूर्ण है।माननीय न्यायाधीश श्री आई. एस. तिवाना, माननीय न्यायाधीश श्री एस. एस. सोधी और माननीय न्यायाधीश श्री ए. एस. नेहरा की पूर्ण पीठ ने अंततः 9 अक्टूबर, 1991 को मामले का फैसला किया।)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत सिविल रिट याचिका। प्रार्थना करता है कि:—

(i) 24 जुलाई, 1989 की अधिसूचना-अनुलग्नक 'पी-2' को आंशिक रूप से इस हद तक निरस्त करते हुए उत्प्रेषण प्रकृति की एक रिट निर्गत कीजिए कि यह याचिकाकर्ताओं को कृषि प्राकृतिक विपणन बोर्ड, हरियाणा से 24 जुलाई, 1989 से पहले सेवानिवृत्त होने वाले पेंशन लाभों से इनकार करता है;

(ii) कि 24 जुलाई, 1989 की अधिसूचना अनुलग्नक 'पी-2 के संदर्भ में याचिकाकर्ताओं को पेंशन लाभ देने के लिए प्रतिवादी को परमादेश देने वाली अनिवार्य प्रकृति की एक रिट उसी तरह जारी की जाए जैसे 24 जुलाई, 1989 के बाद सेवानिवृत्त होने वालों को दी जा रही है।

(iii) कि याचिकाकर्ताओं को परिवर्त्तन पेंशन प्रदान करने के लिए प्रतिवादी को निर्देश देते हुए परमादेश की प्रकृति का एक रिट जारी किया जाए;

(iv) कि कोई अन्य रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए जिसका याचिकाकर्ता कानून या न्याय संगतता में हकदार पाए जा सकते हैं;

(v) मामले का पूर्ण उत्पादन करने के लिए रिकॉर्ड प्रस्तुत;

(vi) रिट नियमों के नियम 20 (2) की आवश्यकता को कृपया समाप्त किया जा सकता है;

(vii) यह माननीय न्यायालय कोई अन्य आदेश पारित कर सकता है जिसे वह मामले की परिस्थितियों में उचित और अनुकूल समझे;

(viii) इस याचिका का खर्च याचिकाकर्ताओं को दिया जाए।

कोई अन्य राहत भी दी जा सकती है जिसे यह माननीय न्यायालय इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित और अनुकूलसमझे।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता पवन कुमार के साथ अधिवक्ता एम. एम. कुमार।

एस. सी. मोहंता, ए. जी. हरियाणा, जे. वी. यादव, डी. ए. जी., हरियाणा के साथ प्रतिवादी संख्या 1 के लिए।

आशुतोष मोहंता, अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 2 के लिए।

निर्णय

न्यायमूर्ति एस. तिवाना.

1.इस याचिका में आवर्धित किया गया लघु मामला *नकारा के मामले (ए. आई. आर. 1983 एस. सी. 130)* में उच्चतम न्यायालय के फैसले के अनुपात की व्याख्या और अनुप्रयोग से संबंधित है, इस मामले के तथ्यों के लिए जिसमें हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड और बाजार समितियों, कर्मचारी पेंशन, भविष्य निधि और ग्रेच्युटी नियम, 1989 के अधिकारों को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि ये प्रतिवादी-विपणन बोर्ड की सेवा से सेवानिवृत्त लोगों, यानी इन नियमों (24 जुलाई, 1989) के लागू होने से पहले सेवानिवृत्त होने वालों और बाद में सेवानिवृत्त होने वालों के बीच एक अपमानजनक भेदभाव करते हैं।इन नियमों को स्पष्ट रूप से यह निर्धारित करके संभावित बनाया गया है कि ये (i) नियमों के लागू होने के बाद बोर्ड की सेवा में प्रवेश करने वालों पर लागू होंगे, और (ii) उन मौजूदा कर्मचारियों पर लागू होंगे जो तीन महीने के भीतर नियमों का विकल्प चुनते हैं।याचिकाकर्ताओं ने स्वीकार किया कि वे 1975 से 1987 के दौरान बोर्ड की सेवा से सेवानिवृत्त हुए।यह फिर से विवाद का विषय नहीं है कि उनकी सेवानिवृत्ति के समय याचिकाकर्ताओं को पंजाब राज्य कृषि विपणन बोर्ड और बाजार समितियों के कर्मचारी भविष्य निधि और ग्रेच्युटी नियम, 1965 द्वारा शासित किया गया था और उन्हें उनकी सेवानिवृत्ति के समय देय सभी लाभ या देय राशि प्रदान की गई है। वर्तमान में विवादित नियम (प्रतिलिपि संलग्नक पी-2) पंजाब कृषि उपज बाजार अधिनियम, 1961 खंड 4:3 के तहत बनाए गए हैं और ये बोर्ड के कर्मचारियों को पेंशन के भुगतान के लिए एक योजना प्रदान करते हैं। जैसा कि पहले ही संकेत दिया जा चुका है, याचिकाकर्ताओं ने इन नियमों पर केवल इस आधार पर आपत्ति जताई है कि ये नियम उन कर्मचारियों को उनके दायरे से बाहर कर देते हैं जो नियमों के लागू होने से पहले यानी 24 जुलाई,

1989 को सेवानिवृत्त हो गए थे और उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त फैसले के अनुपात का उल्लंघन है, जिसमें यह फैसला दिया गया हैः

"सामाजिक-आर्थिक न्यायाधीश के क्षितिज के विस्तार के साथ, समाजवादी गणराज्य और कल्याण राज्य, जिसे देश स्थापित करने का प्रयास करता है और इस तथ्य के साथ कि वृद्ध लोग जो वेतन तुलनात्मक रूप से कम होने पर सेवानिवृत्त हुए थे, लगातार बढ़ती कीमतों की अनिश्चितताओं के संपर्क में हैं, मुद्रास्फीति के प्रभावों के परिणामस्वरूप रुपये का गिरता मूल्य, एक मनमाना पात्रता मानदंड पेश करके, उदारीकृत पेंशन योजना के लिए पात्र होने के लिए 'सेवा में होना और निर्दिष्ट तिथि के बाद सेवानिवृत्त होना' और इस तरह एक समरूप वर्ग को विभाजित करना, वर्गीकरण किसी भी स्पष्ट तर्कसंगत सिद्धांत पर आधारित नहीं है और उदारीकृत पेंशन के अनुदान द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों और पूरी तरह से मनमाने ढंग से तैयार किए गए पात्रता मानदंडों से पूरी तरह से असंबंधित पाया गया है, हमारा विचार है कि उदारीकृत के लिए पात्रता पूरी तरह से मनमाने होने के कारण, हमारा विचार है कि उदारीकृत पेंशन योजना के लिए पात्रता 'निर्दिष्ट तिथि पर सेवा में होना' है और उस तारीख के बाद सेवानिवृत्त होना, संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।"

न्यायालय द्वारा विचार किया गया सटीक प्रश्न इस प्रकार प्रस्तुत किया गया थाः

"क्या पेंशनभोगियों का यह वर्ग पेंशन की 'पात्रता' और 'भुगतान' के उद्देश्य से उन लोगों में विभाजित किया जा सकता है जो निश्चित तिथि तक सेवानिवृत्त हुए और जो उस तिथि के बाद सेवानिवृत्त हुए?"

इस घोषणा के अलावा, याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय के निम्नलिखित फैसलों पर भी भरोसा करने की मांग की हैः—

(i) संलग्नक पी-1 (*कुंदन सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य ,* 1984 का सी. डब्ल्यू. पी. सं. 3742,22 जनवरी, 1985 को तय किया गया);

(ii) 1989 की एल. पी. ए. सं. 1352 में 1987 के सी. डब्ल्यू. पी. सं. 9586 (*खादी और ग्रामोद्योग आयोग बनाम भीम सेन वेदलन-कर और अन्य*) का निर्णय 23 मार्च, 1990 को लिया गया था।

(iii) *हरबंस लाल और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य*, 1986 (2) एस. एल. जे. 290;

(iv) *वी. पी. गौतम बनाम भारत संघ*, 1983 (2) एस. एल. आर. 346.

(v) *शमशेर सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य और एक अन्य*, 1988 (2) एस. एल. आर. 408; और

(vi) *रघबीर सिंह बनाम हरियाणा राज्य और अन्य*, 1987 (4) एस. एल. आर. 767:अपने रुख के समर्थन में।

(2) वास्तव में, इनमें से कुछ निर्णयों की सत्यता के बारे में प्रस्ताव पीठ द्वारा व्यक्त किए गए संदेह के कारण इस याचिका को एक बड़ी पीठ द्वारा सुनवाई के लिए स्वीकार करने की आवश्यकता थी। मामला इस तरह हमारे सामने है।

(3) हालाँकि, उपरोक्त निर्णयों की वैधता की जांच करने से पहले, *नकारा के मामले में* सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का पूर्ण द्वंद्व होना उचित प्रतीत होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि सर्वोच्च न्यायालय के माननीय आधिपत्य की कुछ बाद की घोषणाओं से मामला आसान हो गया है,जिसमें परित्यक्त निर्णय का अनुपात पूरी तरह से सामने लाया गया है और उस पर फैसला सुनाया गया है।

(4) इस संबंध में पहला निर्णय संभवतः *राज्य सरकार पेंशनभोगी संघ और अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 1986 3 एस. सी. सी 501* में था, जिसमें सेवानिवृत्ति पर देय पेंशन और सेवानिवृत्ति पर देय ग्रेच्युटी के बीच एक स्पष्ट अंतर सामने लाया गया था।इस फैसले में, सर्वोच्च न्यायालय के विचार के लिए निम्नलिखित प्रश्न सामने आयाः

"क्या प्रावधान का वह हिस्सा जो निर्दिष्ट तिथि से संभावित प्रभाव से बड़ी राशि के ग्रेच्युटी के भुगतान का प्रावधान करता है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है?".

दूसरे शब्दों में, इस मामले की जांच की गई कि क्या उन सभी लोगों को ग्रेच्युटी का भुगतान चरणबद्ध आधार पर किया जाना चाहिए, जो संशोधन की तारीख से पहले सेवानिवृत्त हुए थे, पूर्वव्यापी प्रभाव से, भले ही प्रावधान संभावित संचालन के लिए प्रदान किया गया हो, ताकि भारत के संविधान केअनुच्छेद 14 का अपमान न हो।? इसी बात का खंडन करते हुए *नकारा के मामले* में परित्यक्त निर्णय के आलोक में उठाए गए तर्क के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय के माननीय आधिपत्य ने निम्नलिखित तरीके से खुद को व्यक्त कियाः—

"हमारी राय में, 1 अप्रैल, 1978 से पहले सेवानिवृत्त होने वाले पेंशनभोगियों को 1950 के संशोधित पेंशन नियमों के अनुसार संगणित उपदान से संबंधित अवशिष्ट राशि का भुगतान नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सेवानिवृत्ति के समय वे तत्कालीन मौजूदा नियमों द्वारा शासित होते हैं और उनकी उपदान राशि की गणना उसी आधार पर की जाती थी।वही भुगतान किया गया था।चूंकि संशोधित योजना योजना में उल्लिखित तिथि यानी 1 अप्रैल, 1978 से लागू है, इसलिए पेंशनभोगियों के पेंशन और पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने के निरंतर अधिकारों को भी उस योजना के अनुसार संशोधित किया जाना चाहिए। लेकिन उपदान के संबंध में ऐसा नहीं कहा जा सकता है, जो अर्जित किया गया था और आहरित किया गया था। नकारा मामले में सर्वोच्च न्यायालय के आधिपत्य ने निर्धारित तिथि से पहले सेवानिवृत्त होने वाले पेंशनभोगियों को बकाया देने से

इनकार कर दिया, यह वास्तव में संशोधित ग्रेच्युटी देने से इनकार करने के लिए लागू होगा, क्योंकि यह राज्य सरकार से नई योजना के अनुसार 1 अप्रैल, 1978 से पहले सेवानिवृत्त हुए लोगों के लिए संशोधित करने के बाद ग्रेच्युटी से संबंधित बकाया राशि भुगतान करने के लिए कहने के बराबर होगा। और यह ए.पी (आंध्र प्रदेश) संशोधित पेंशन नियम, 1980 को पूर्वव्यापी प्रभाव देने के बराबर होगी, जो 29 अक्टूबर 1979 से, और उन नियमों के भाग II के मामले में 1 अप्रैल 1978 से लागू हुई।। यह योजना भावी है न कि पूर्वव्यापी।"

एक बार फिर, बाद के मामले में *भारत संघ बनाम ए. यू. भारत सेवा पेंशनभोगी संघ और एक अन्य (1988) (I) एस.एल.आर. 353*, माननीय आधिपत्य ने *नकारा के मामले* के संदर्भ में यह टिप्पणी करते हुए कि पेंशन का भुगतान समय-समय पर तब तक किया जाता है जब तक कि पेंशनभोगी जीवित है, ग्रेच्युटी का भुगतान आमतौर पर सेवानिवृत्ति पर केवल एक बार किया जाता है, इस मामले को उदाहरण देते हुए आगे समझायाः—

"चीजों की प्रकृति के अनुसार वेतनमान में सुधार संभावित रूप से किया जा सकता है ताकि यह केवल उन लोगों पर लागू हो जो ऊपर की ओर संशोधन की तारीख पर रोजगार में हैं। जो लोग 1950, 1960 या 1970 में रोजगार में थे, जीवन यापन की तत्कालीन प्रचलित लागत संरचना और वेतनमान संरचना के आधार पर रहते थे, खर्च करते थे और बचत करते थे, वे 1980 में लागू किया गया उच्च वेतनमान का दावा करने के लिए अनुच्छेद 14 का आह्वान नहीं कर सकते। । यदि अनुच्छेद 14 के कारण वेतन में वृद्धि संभावित रूप से नहीं की जा सकती है, तो शायद ऐसा कोई संशोधन कभी नहीं किया जाएगा। इसी तरह का मामला ग्रेच्युटी के संबंध में है जो याचिकाकर्ताओं को पहले से ही तत्कालीन प्रचलित आधार पर भुगतान किया जा चुका है जैसा कि उनकी सेवानिवृत्ति की संबंधित तिथियों के समय प्राप्त किया गया था।सेवानिवृत्ति की तारीख को उनके द्वारा निकाले गए वेतन के आधार पर सेवानिवृत्ति की तारीख को राशि को स्पष्ट कर दिया गया।और उन्हें पहले से ही इस आधार पर भुगतान किया जा चुका था।लेन-देन पूरा हो गया है और बंद हो गया है।भविष्य में बाद में विकसित किए गए सूत्र के ऊपर की ओर या नीचे की ओर संशोधन के संदर्भ में ऊपर की ओर या नीचे की ओर संशोधन की कोई गुंजाइश नहीं है, जब तक कि इस संबंध में प्रावधान स्पष्ट रूप से पूर्वव्यापी रूप से प्रदान नहीं करता है (नीचे की ओर संशोधन कानूनी रूप से भी स्वीकार्य नहीं हो सकता है), यह तर्क देना व्यर्थ होगा कि अनुच्छेद 14 के अनुरूप उपदान राशि का कोई ऊपर की ओर संशोधन नहीं किया जा सकता है, ग्जब तक कि यह उन सभी को संशोधित आधार पर भुगतान का प्रावधान नहीं करता है जिनके पास है 1950 में संविधान के प्रारंभ होने की तारीख और ऊपर की ओर संशोधन की तारीख के बीच पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं।इसलिए इस निष्कर्ष से कोई बच नहीं सकता है कि उच्च न्यायालय इस ओर से याचिकाकर्ताओं की याचिका को खारिज करने में पूरी तरह से सही था।"

इसी तरह, भविष्य निधि सेवानिवृत्त और पेंशन सेवानिवृत्त लोगों के बीच के अंतर को भी सर्वोच्च न्यायालय ने *कृष्ण कुमार और अन्य बनाम भारत संघ (1990) 4 एस. सी. सी 207* मामले में बरकरार रखा, नकारा के मामले के अनुपात की जांच करने के बाद इस टिप्पणी के साथ कि ये सेवानिवृत्त लोग अलग-अलग वर्गों का गठन करते हैं और "नकारा में यह कभी नहीं माना गया कि पेंशन सेवानिवृत्त और पी. एफ. सेवानिवृत्त लोगों ने एक समरूप वर्ग का गठन किया, भले ही अकेले पेंशन सेवानिवृत्त लोगों ने एक समरूप वर्ग का गठन किया हो, जिसके भीतर एक उदारीकृत पेंशन योजना के उद्देश्य के लिए कोई भी आगे का वर्गीकरण अस्वीकार्य था।" यह भी रेखांकित किया गया कि -—

"नकारा में, यह निर्णय लेने की आवश्यकता कभी नहीं थी कि सभी उद्देश्यों के लिए सभी सेवानिवृत्त लोगों ने एक वर्ग का गठन किया और आगे कोई वर्गीकरण अनुमत नहीं था।"

इस तर्क या तर्क की प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट ने *इंडियन एक्स-सर्विसेज लीग और अन्य बनाम भारत संघ 1991 (1) एसएलआर 745* में फिर से मंजूरी दी, जबकि इसके लिए 'एक रैंक एक पेंशन 'के सिद्धांत को खारिज कर दिया। सशस्त्र बलों के सभी सेवानिवृत्त लोग, चाहे उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख कुछ भी हो। न्यायालय ने नकारा के मामले की जांच करने के बाद पाया कि उक्त निर्णय सीमित अनुप्रयोग में से एक था और पेंशन सेवानिवृत्त लोगों द्वारा किए गए सभी दावों या प्रत्येक के लिए समान राशि की पेंशन की मांग को कवर करने के लिए उस निर्णय के दायरे को बढ़ाने की कोई गुंजाइश नहीं है। सेवानिवृत्ति की तारीख की परवाह किए बिना एक ही पद से सेवानिवृत्त, भले ही उनकी पेंशन की गणना के प्रयोजन के लिए गणना योग्य परिलब्धियां अलग-अलग हों।

(5) अतः, इन आधिकारिक घोषणाओं के प्रथम प्रकाश में यह सुरक्षित रूप से निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए कि नकारा के मामले में संविधान पीठ ने जो निर्णय दिया था, वह यह था कि उदारीकरण का लाभ और उदारीकृत पेंशन योजना के अनुसार दी गई सीमा सभी सेवानिवृत्त लोगों को समान रूप से दी जानी चाहिए, चाहे उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख कुछ भी हो और वे लाभ केवल उस व्यक्ति तक ही सीमित नहीं हो सकते हैं जो निर्दिष्ट तिथि को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुआ हो क्योंकि पेंशन में उदारीकरण का लाभ देने के उद्देश्य से सभी सेवानिवृत्त लोगों ने अपनी सेवानिवृत्ति की तारीखों के बावजूद एक वर्ग का गठन किया था, लेकिन यह उन सेवानिवृत्त लोगों के मामले में सच नहीं हो सकता है जो अपनी सेवानिवृत्ति के समय केवल भविष्य निधि या/और उपीठान के हकदार थे। यह इस तर्क के संदर्भ में था कि नकारा के मामले में दी गई एकमात्र राहत ज्ञापन के उस हिस्से को रद्द करना था जिसके द्वारा उदारीकृत पेंशन योजना का लाभ केवल निर्दिष्ट तिथि को या उसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले व्यक्तियों तक ही सीमित था, जिसके परिणामस्वरूप सभी सेवानिवृत्त लोगों को उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख के बावजूद लाभ दिया गया था।,एक बार जब नकारा के मामले में निर्णय से उभरी इस स्थिति को ध्यान में रखा जाता है, तो इस याचिका में

याचिकाकर्ताओं के तर्क में भ्रांति स्पष्ट हो जाती है और केवल उस मामले के आधार पर उनका दावा असमर्थनीय है।याचिकाकर्ता 24 जुलाई, 1989 को विवादित नियम लागू होने से बहुत पहले ही बोर्ड की सेवा से सेवानिवृत्त हो गए थे और उस समय वे केवल 1965 के नियमों के अनुसार भविष्य निधि और उपदान के भुगतान के हकदार थे जो उन्हें विधिवत भुगतान किया गया था।इस प्रकार, नकारा के मामले के आलोक में ग्रेच्युटी और भविष्य निधि की अवधारणा को पेंशन से अलग होने के कारण आसानी से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।जबकि पेंशन एक ऐसी अवधि है जो उन व्यक्तियों को आवधिक धन भुगतान के लिए लागू होती है जो एक निश्चित उम्र में सेवानिवृत्त होते हैं और आमतौर पर अपने शेष जीवन के लिए भुगतान किया जाता है, ग्रेच्युटी या भविष्य निधि का भुगतान सेवानिवृत्ति के समय एक बार किया जाना है। यह कहा जा सकता है कि पेंशन प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के पास निरंतर अधिकार है और राज्य को ऐसे सेवानिवृत्त लोगों के लिए प्रावधान करने का संबंधित दायित्व है, लेकिन उनकी तुलना ऐसे व्यक्तियों से नहीं की जा सकती जो ग्रेच्युटी या भविष्य निधि के भुगतान के हकदार हैं, इसका भुगतान केवल एक बार यानी सेवानिवृत्ति के समय किया जाएगा। इसलिए, तत्काल मामले में, विवादित नियम लागू होने की तारीख यानी 24 जुलाई, 1989 को ऐसे सेवानिवृत्त लोगों के लिए कुछ भी प्रदान करने याचिकाकर्ता के पास कोई निरंतर अधिकार या प्रतिवादी-बोर्ड की ओर से निरंतर दायित्व नहीं था।

(6) नकारा के फैसले के उपर्युक्त विश्लेषण के आलोक में, हमें याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा भरोसा किए गए बाकी निर्णयों का विस्तृत संदर्भ देना पूरी तरह से अनावश्यक लगता है। इनमें से कुछ मामलों में, नकारा के मामले के उपर्युक्त विश्लेषण या पेंशन और उपदान या भविष्य निधि का भुगतान करने के दायित्व के बीच अंतर पर ध्यान नहीं दिया गया था, इसलिए उक्त निर्णय उस हद तक स्पष्ट रूप से अच्छे कानून को निर्धारित नहीं करते हैं और उस हद तक अति-शासित नहीं होते हैं।

(7) अभिलेख के लिए यहां यह उल्लेख किया जा सकता है कि एक स्तर पर याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री कुमार ने यह भी आग्रह किया कि 24 जुलाई, 1989 को विवादित नियमों के प्रवर्तन की तारीख के रूप में निर्धारित करना पूरी तरह से मनमाना है और प्रतिवादी-बोर्ड ने उस तारीख के निर्धारण के लिए किसी भी तर्क या औचित्य का खुलासा करने का कोई प्रयास नहीं किया है।हमें इस तर्क की सराहना करना पूरी तरह से मुश्किल लगा। किसी विशेष अधिनियम या नियम के प्रवर्तन की तारीख को चीजों की प्रकृति में मदद नहीं की जा सकती है और इसमें कुछ भी अप्रीतिकर नहीं है जब तक कि कोई यह नहीं कह सकता कि अधिनियम को कभी भी संभावित नहीं बनाया जा सकता है।न्यायालय को संभवतः इस तथ्य से विचलित नहीं किया जा सकता है कि बोर्ड का कोई कर्मचारी जो विचाराधीन नियमों के प्रवर्तन से एक दिन पहले ही सेवानिवृत्त हो गया हो, उसे इसका लाभ नहीं मिल सकता है क्योंकि प्रवर्तन की तारीख को किसी भी प्रासंगिक प्रावधान को निरस्त करके समाप्त नहीं किया जा सकता है।सभी मामलों में कानून का संभावित संचालन

होना चाहिए।भले ही तर्क के लिए प्रवर्तन की उक्त तिथि को अभिलोपित किया जाए, नियमों का स्वचालित रूप से पूर्वव्यापी संचालन नहीं हो सकता है। इसलिए, हमें विद्वान अधिवक्ताकार के इस रुख को अस्वीकार में कोई संकोच नहीं है।

(8) ऊपर दिए गए कारणों से, हम इस याचिका में कोई योग्यता नहीं पाते हैं और इसे खारिज करते हैं लेकिन लागत के बारे में कोई आदेश नहीं देते हैं।चूंकि मामले की सुनवाई की शुरुआत में ही, पक्षों के विद्वान अधिवक्ता ने सहमति व्यक्त की थी कि इस याचिका में हमारा यह निर्णय दो अन्य समान रिट याचिकाओं (1990 की संख्या 2419 और 7853) के भाग्य को नियंत्रित करेगा, जिसमें तथ्य और कानून के समान विवाद उठाए गए हैं, हम उन्हें भी खारिज करते हैं, लेकिन लागत के बारे में कोई आदेश नहीं देते हैं।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

प्रियंका वर्मा

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

फ़रीदाबाद, हरियाणा